

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/5/24

(Handwritten signature)

रत्नवती पेश हुई बच्चों को उद्योग अथवा शिक्षण
के लिए जो माता पिता जल्द जल्द पेश करें
वकील के साथ परामर्श करवाए जाए

अभियोग
के

आराज अथवा खजाना के खसम संख्या

ख.सं. 162 का

148, 162, 175, 194, 231, व 28

निर्वाहिका
पारसदी

में ही खसम संख्या 162 का होना

को शक्ति

के लिये न्याय के निस्तारण तक माँके

दोष

की अभावधानी व्यापक रखने का काम

(Handwritten signature)

नहीं जाहिर की है। अतः अद्य

खजाना के उक्त न्याय अथवा खसमों में

ले ख.सं. 162 का होना वकील

अथवा माँके की अभावधानी के लिये

न्याय के निस्तारण तक व्यापक रखने

परामर्श के लिये अथवा होकर न्याय

के अन्तर्गत है।

सहायक कमिश्नर पब्लिक
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)